न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 33/2025 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/63**

दायर दिनांक :– 17.02.2025 **निर्णय दिनांक :– 12.01.2026**

1. ओमप्रकाश पुत्र जोराराम जाति विश्नोई निवासी नवनीतपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
2. शांयती पत्नी किशनाराम जाति विश्नोई निवासी नवीनीतपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
3. रोशनी पत्नी हरसुखराम जाति विश्नोई निवासी नवनीतपुरा तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम्

1. रामचन्द्रराम पुत्र रूगनाथराम जाति विश्नोई निवासी भोजासर तहसील आउ जिला फलोदी
2. तेजाराम पुत्र उदाराम जाति विश्नोई निवासी हनुमाननगर तहसील आउ जिला फलोदी
3. मुकनाराम पुत्र उदाराम जाति विश्नोई निवासी हनुमाननगर तहसील आउ जिला फलोदी
4. माणकराम पुत्र भैराराम जाति विश्नोई निवासी हनुमाननगर तहसील आउ जिला फलोदी
5. मनोहरलाल बिश्नोई पुत्र उदाराम जाति विश्नोई निवासी हनुमाननगर तह. आउ जिला फलोदी
6. रूपाराम पुत्र उदाराम जाति विश्नोई निवासी हनुमाननगर तह. आउ जिला फलोदी
7. श्रवण कुमार पुत्र जीवणराम जाति विश्नोई निवासी हनुमाननगर तह. आउ जिला फलोदी
8. हजारी पुत्र भैराराम जाति विश्नोई निवासी हनुमाननगर तह. आउ जिला फलोदी
9. हनुमानराम पुत्र जीवणराम जाति विश्नोई निवासी हनुमाननगर तह. आउ जिला फलोदी
10. चुखा पत्नी दाणुराम जाति विश्नोई निवासी भोजासर तह. आउ जिला फलोदी
11. माणकराम पुत्र जगमाल जाति विश्नोई निवासी भोजासर तह. आउ जिला फलोदी
12. सुरेन्द्र पुत्र दाणुराम जाति विश्नोई निवासी भोजासर तहसील आउ जिला फलोदी
13. बीरबलराम पुत्र हरींगाराम जाति विश्नोई निवासी हड़माननगर तहसील आउ जिला फलोदी
14. भजनाराम पुत्र जोधाराम जाति विश्नोई निवासी हड़माननगर तहसील आउ जिला फलोदी
15. किशनाराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई निवासी पीलवा तहसील लोहावट जिला फलोदी
16. पुनाराम पुत्र माधाराम जाति विश्नोई निवासी पीलवा तहसील लोहावट जिला फलोदी
17. कवरलाल पुत्र धीमाराम जाति विश्नोई निवासी क.सिड तहसील बाप जिला फलोदी
18. नाबालिग कृष्णा पुत्री सुरजाराम सरंक्षक माता शांति जाति विश्नोई निवासी कल्याणसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी
19. गंगादेवी पत्नी सुखराम जाति जाति विश्नोई निवासी क.सिड तहसील बाप जिला फलोदी
20. चुकीदेवी पत्नी हिराराम जाति विश्नोई निवासी भाखरी तहसील ओसियां जिला जोधपुर
21. नाबालिग प्रेमसुख पुत्र सुरजाराम सरंक्षक माता शांति जाति विश्नोई निवासी कल्याण सिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी

नाबालिग पवन पुत्र सुरजाराम सरंखक माता शांति जाति विश्नोई निवासी कल्याण सिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी

शांति पत्नी सुरजाराम जाति विश्नोई निवासी क.सिड तहसील बाप जिला फलोदी

हरिराम पुत्र किशनाराम जाति विश्नोई निवासी क. सिड तहसील बाप जिला फलोदी

हीराराम पुत्र रामचन्द्र जाति विश्नोई निवासी जम्भेश्वर नगर तहसील ओसियां जिला जोधपुर

केकूदेवी पत्नी पूनाराम जाति मेगवाल निवासी मा. सिड तहसील बाप जिला फलोदी

ठाकरराम पुत्र सोनाराम जाति मेगवाल निवासी मा. सिड तहसील बाप जिला फलोदी

मोबताराम पुत्र सोनाराम जाति मेगवाल निवासी मा. सिड तहसील बाप जिला फलोदी

रमेश पुत्र पुनाराम जाति मेगवाल निवासी मा. सिड तहसील बाप जिला फलोदी

लालुराम पुत्र रासुराम जाति मेगवाल निवासी मा. सिड तहसील बाप जिला फलोदी

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

सिक्सटीन रिन्यूवेबल पावर प्रा. लि. पता एस–2904, 29 वीं मंजील वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ब्रिगेड गेट वे–26/1, डॉ. राजकुमार रोड़ मल्लेश्वरम (पश्चिमी) बैंगलोर 560055 कर्नाटक

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–1. श्री रवि पालीवाल अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप
3. श्री प्रकाश विश्नोई अधिवक्ता अप्रार्थीगण
संख्या 1 ता 3, 5, 6, 8, 14

–:निर्णय:–

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय से पेश किया है कि सरहद मौजा कल्याणसिंह की सिड पटवार क्षेत्र कल्याणसिंह की सिड तहसील बाप में प्रार्थीगण की खातेदारी की काश्त भूमि खसरा नम्बर 2/12 रकबा 10.7970 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2/10 रकबा 10.7889 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2 रकबा 16.1874 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2/11 रकबा 10.7889 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि पर आज दिन तक लगातार शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि पर रहवासीय ढाणी, पानी के टांके, पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है और प्रार्थीगण अपने परिवार सहित बारह मास निवास करता आ रहा है नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण उक्त खातेदारी अधिकारों के चिपती अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 30 की भूमि खसरा नम्बर 151/3 रकबा 16.1874 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 150/3 रकबा 16.1874 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 148/3 रकबा 16.1874 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 149/3 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 147/3 रकबा 0.0938 हैक्टेयर ग्राम सिन्धीपुरा पटवार

Satya...
उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

कल्याणसिंह की सिड एवं खसरा नम्बर 2/6 रकबा 16.1874 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7 रकबा
हैक्टेयर भूमि ग्राम कल्याणसिंह की सिड पटवार क्षेत्र कल्याणसिंह की सिड तहसील बाप में
है। प्रमाणित जमाबंदी व नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण के खेत खसरा
की भूमि एवं उसमें बनी रहवासीय ढाणी में आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 ता 30 की
भूमि का खसरा नम्बर 151/3 रकबा 16.1874 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 150/3 रकबा 16.
हैक्टेयर, खसरा नम्बर 148/3 रकबा 16.1874 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 149/3 रकबा 8.0937
खसरा नम्बर 147/3 रकबा 0.0938 हैक्टेयर ग्राम सिन्धीपुरा पटवार हल्का कल्याणसिंह की
खसरा नम्बर 2/6 रकबा 16.1874 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7 रकबा 35.1752 हैक्टेयर भूमि
कल्याणसिंह की सिड पटवार क्षेत्र कल्याणसिंह की सिड की भूमि में से रास्ता हेतु संलग्न नजरी
अनुसार उपयोग में ली जा रही है। प्रार्थी को आने जाने हेतु उक्त रास्ते के आलावा अन्य
रास्ता नहीं है तथा प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में अप्रार्थीगण की भूमि में से आने जाने हेतु रास्ता का
उपयोग किया जा रहा था। अप्रार्थीगण उक्त रास्ते को बंद करने को आमादा है। अप्रार्थी संख्या 1 ता
30 की भूमि से लगती डामर सड़क जो मौके पर बाप से मण्डोर तक जाती है जिस सड़क मार्ग तक
आने हेतु प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र नये रास्ते की घोषणा हेतु प्रस्तुत करना पड़ रहा है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया
अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 31 तहसीलदार बाप ने मौका
रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थी संख्या 4, 7, 9 ता 13 व 15 ता 30 व 32 की
ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।
अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3, 5, 6, 8, 14 की और से अधिवक्ता प्रकाश विश्नोई ने वकालतनामा पेश
किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 3, 5, 6, 8, 14 जवाब–प्रार्थना
पत्र पेश नहीं करना चाहते है और पटवारी हल्का एवं भू.अ.निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार रास्ता
खुला जाता है तो पक्षकारों को कोई एजराज नहीं है।

तहसीलदार की मौका–रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण
तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–'क' का
अवलोकन यहाँ प्रतीत होता है–

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251–क "अन्य खातेदार की जोत होकर भूमिगत पाईप लाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का परिवर्तन करना – (1) जहां–

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिचांई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से
भूमिगत पाईप लाईन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक
पहुंच के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या विद्यमान

उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उनका समाधान हो जाता है कि

i) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है और

ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,

तो आदेश के द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह के कम से कम तीन फुट नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा, जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट में से होकर एक नया मार्ग जो 30 फुट से अधिक चौड़ा नहीं, बनाने के लिए या विद्यमान मार्ग को 30 फुट से अधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है जिस में से होकर पाईप लाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा किये जाने का अधिकार मंजूर किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा

जहां उपधारा 1 के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जावेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में से ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखत कर दी जायेगी

वे व्यक्ति, जिनको उपधारा 1 में से निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में जिस में होकर ऐसी सुविधा मंजूर की गई, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेगे।

इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–'क' के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है–

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 आवेदन की जांच और निपटान– प्रारूप 1 में आवेदन प्राप्त होने पर उप–विभागीय अधिकारी या तो स्वयं स्थल निरीक्षण करेगा या निरीक्षक भूमि अभिलेख के पद से नीचे के अधिकारी से निरीक्षण करायेगा और प्रभावित व्यक्तियों से आपतियां आंमत्रित करेगा। उप विभागीय अधिकारी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने और ऐसी आगे की जांच करने के बाद, जैसा वह आवश्यक समझे यदि सन्तुष्ट हो जाता है कि–

Satya...
उप खण्ड अधिकारी
(फलोदी)

(1) आवश्यकता परम आवश्यकता है और यह केवल सुविधाजनक आनन्द के लिए नहीं है तथा,
(2) विशेष रूप से किसी अन्य खातेदार की जोत से होकर नये रास्ते के मामले में, जिसमें पहुंच के वैकल्पिक साधनों का अभाव साबित हो जाता है, आवेदन को स्वीकार कर सकता है।

विचाराधीन प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अन्तर्गत तहसीलदार बाप की रिपोर्ट व मौका फर्द निमनानुसार –

1. प्रार्थी वर्तमान में अस्थाई तौर पर ग्राम कल्याणसिंह की सिड के खसरा नंबर 2 में आने जाने हेतु रास्ता ग्राम कल्याणसिंह की सिड के खसरा नंबर 2/6, 7 एवं ग्राम सिन्धीपुरा के खसरा नम्बर 147/3, 149/3, 148/3, 150/3 में से उपयोग में ले रहे है जो कि स्वीकृत शुदा नहीं है।
2. ग्राम कल्याणसिंह की सिड के खसरा नंबर 2 के निकटतम ग्राम कल्याणसिंह की सिड के खसरा नंबर 2/6, 7 एवं ग्राम सिन्धीपुरा के खसरा नम्बर 147/3, 149/3, 148/3, 150/3 के चिपती डामर सड़क है।
3. यदि ग्राम कल्याणसिंह की सिड के खसरा नंबर 2/6, 7 एवं ग्राम सिन्धीपुरा के खसरा नम्बर 147/3, 149/3, 148/3, 150/3 में से रास्ता दिया जाता है तो 0.4486 हैक्टेयर भूमि रास्ते में आती है जो सबसे निकटतम व सुविधाजनक होगी।

उक्त रिपोर्ट में पटवारी हल्का ने राजस्व मण्डल राजस्व अजमेंर का स्थगन होने का नोट किया गया था जिसके संबंध में तहसीलदार बाप से पुनः रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार बाप ने में बताया कि रास्ते हेतु प्रस्तावित ग्राम कल्याणसिंह की सिड के खसरा नंबर 2/6, 7 एवं सिन्धीपुरा के खसरा नम्बर 147/3, 149/3, 148/3, 150/3 की भूमि के राजस्व अभिलेख में किसी भी न्यायालय का स्थगन नोट दर्ज नहीं है।

प्रार्थना पत्र 251क के निस्तारण हेतु निम्नांकित बिन्दुओं का विवेचन एवं विशलेषण किया या –

1. रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता– पटवारी हल्का एवं भू.अ.निरीक्षक की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है।
2. वैकल्पिक रास्ता मौजूद है अथवा नहीं – पटवारी हल्का एवं भू.अ.निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार आवागमन हेतु प्रस्तावित/चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।
3. नया मार्ग लघुतम रूट है या नहीं– पटवारी हल्का एवं भू.अ.निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित किया गया नया मार्ग लघुतम दूरी का है।

उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के विधिक प्रावधानों के दर्भ में प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु नुपलब्धता एवं तहसीलदार बाप द्वारा प्रेषित मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर

उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क काबिल–ऐ स्वीकार है। अतः तहसीलदार बाप द्वारा प्रेषित मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार प्रस्ताव में बरंग लालसे प्रदर्शित मार्ग बतौर 15 फीट चौड़ाई में गैर मुमकिन रास्ता नियमानुसार भूमि एवं निर्माण, अगर कोई हो तो, की क्षतिपूर्ति राशि भुगतान पश्चात् राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कल्याणसिंह की सिड के खसरा नंबर 2/6, 7 एवं ग्राम सिन्धीपुरा के खसरा नम्बर 147/3, 149/3, 148/3, 150/3 में से 0.4486 हैक्टेयर भूमि मौका फर्द के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अकंन किया जावे तथा मौके पर रास्ता चालू करवाये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त स्वीकृत रास्ते की एवज में डीएलसी की दुगनी दर से प्रतिकर देय होगा जिसकी गणना तहसीलदार बाप द्वारा करवाई जावेगी। प्रार्थीगण द्वारा प्रतिकर की राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के उपरांत गै.मु.रास्ते का अकंन राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग होगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya..

(सत्य नारायण–I, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)